कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 19 /11–सी–FP/UP/Pipeline/116044/2020, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 02 ,2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद–फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–19 (कानपुर–प्रयागराज रोड) के किमी0 519.00 से किमी0 552.00 कुल लम्बाई 33.00 किमी0 में एच0डी0डी0 तकनीक के माध्यम से 12'' (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाईप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.99 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–52/81–2–2021–800(55)/2021, दिनांक–30.03.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, प्रयागराज ने अपने पत्रांक–3746/15–1, दिनांक 30.06.2021 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन ''परिवेश'' पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 19 /11–सी–FP/UP/Pipeline/116044/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, प्रयागराज।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, फतेहपुर।
3. चीफ रिजनल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 कानपुर (पार्ट) फतेहपुर एवं हमीरपुर 808–810, 8वां तल ए 14/13 कान चैबेंर सिविल लाइन्स कानपुर।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-611